

9

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292] नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 1985/ज्येष्ठ 22, 1907  
No. 292] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 1985/JYAISTHA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जून, 1985

अधिसूचना

का. आ. 460 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के  
खण्ड (1) के अनुसरण में यह निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का  
प्रशासक (चाहे वह प्रशासक, उप राज्यपाल या मुख्य आयुक्त में से किसी नाम  
से जाते हैं) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश होने  
तक संबंधित संघ शासित के संबंध में, धारा 45 टी और रिजर्व बैंक ऑफ

इंडिया अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 58ई की उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी करेगा ।

[सं. यू. 11030/3/84/यू. टी. एल.]

एच. वी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th June, 1985

NOTIFICATION

S.O. 460(E).—in pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution of India, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the Administrator of every Union Territory (whether known as the Administrator, Lieutenant-Governor or Chief Commissioner) shall, in relation to the Union Territory concerned, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under section 45T and the proviso to sub-section (1) of section 58E of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

[No. U-11030/3/84-UTL]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.